न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 94/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/225

उनवान

रुपसिंह पुत्र सांवल जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

1. कमलेश पत्नी खैमसिंह
2. पंकज पुत्र खैमसिंह
3. पवन नाबालिग पुत्र खैमसिंह
   वली सरपरस्त माता कमलेश पत्नी खैमसिंह
4. अन्जू
5. आशा — पुत्रीयान खैमसिंह
6. भूरी

जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

7. शिवसिंह
8. मोहनसिंह — पुत्रान नथोली
9. वीरवती पत्नी राजेन्द्र सिंह
10. प्रताप
11. माधवसिंह — पुत्रान राजेन्द्र सिंह
12. वेदप्रकाश

जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13. सुमन पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. डालचन्द पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. उम्मेद पुत्र सांवल
16. फूलसिंह
17. विशन
18. सियाराम — पुत्रगण गुरुदयाल
19. केशुली पत्नी गुरुदयाल
20. होती उर्फ डूगरसिंह पुत्र इमरतसिंह
21. लोकेश पुत्र इमरत
22. पपीता पत्नी दशरथ
23. हेमराज
24. हेमन्त — पुत्रगण दशरथ
25. हेमलता पुत्री दशरथ
26. सत्यवती पुत्री दशरथ

जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
28. प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

29. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई।
30. गोविन्द सिंह
31. गोरधनसिंह उर्फ बच्चू } पुत्रान दौलतसिंह
32. शकुन्तला
33. तनू } पुत्रीयान दौलतसिंह

जाति जाट निवासी खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 23/2015 बउनवानी कमलेश वगै. बनाम शिवसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री रुपेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 23/2015 बउनवानी कमलेश वगै. बनाम शिवसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी वादपत्र में वर्णित मद सं. 2 के खाता सं. 40, 47, 48, 49, 28, 23 वाके ग्राम खुर्रमपुर में जो पैत्रिक सम्पत्ति मृतक नथोली पत्र रामचन्द से वारिसान को प्राप्त हुई है उसकी आराजी बाबत ग्राम उटारदा व खुर्रमपुर में दावा पेश कर विभाजन कराना सहमति से कुर्रेजात पेश कर कब्जे व हिस्से मुताबिक मनबट के बजाय कानूनी विभाजन किया जावे तथा कुर्रेजात का अंकन राजस्व रिकार्ड में मय तरमीम लगान आदि तय कराते हुए व रिलीजडीड हक त्याग बावत् सुविधा देते हुए व पूर्व बयनामा दिनांक 30.08.1972 को दृष्टिगत रखते हुए दुरूस्ती आदेश कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को दावे के निस्तारण तक मदाखलत व मजाहमत न करने बाबत् पाबन्द किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रुपेन्द्र सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित प्रतिवादिया सं. 17 कमला पत्नी इमरत की मृत्यु हो गयी है। उसके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर है कमला के मृत होने के कारण अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अंकित प्रतिवादी सं. 26 दौलतसिंह पुत्र मूलीसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान उसके पुत्र गोविन्द सिंह, गोरधनसिंह, उर्फ बच्चू तथा पुत्रियां शकुन्तला व तनु है जिन्हें रेस्पोडेन्ट सं. 30 लगायत 33 बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को जारी नोटिसों पर तामील कुनिन्दा द्वारा असल रेस्पोडेन्टस/वादीगण से मिल्लत कर फर्जी तामील करायी गयी है। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो की तामीली रिपोर्टस से सुस्पष्ट है। फूलसिंह विशन आदि समस्त व्यक्तियो को जारी सम्मनों पर फर्जी रूप से अपीलांट रूपसिंह के कथित हस्ताक्षरों को किन्ही दो गवाहो से सत्यापित नहीं कराया है और ना ही तामील कुनिन्दा का प्रत्येक सम्मन पर शपथ पत्र अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट व अन्य तरतीवी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई इकबाल दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय मे तथाकथित प्रस्तुत इकबाल दावा वादी व उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिस पर अपीलांट व अन्य तरतीवी रेस्पो० के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से बनाये गये है और इसी इकबाल दावा के आधार पर कोई भी निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की है। अपीलांट के वकालतनामा व राजीनामा पर भी असल रेस्पोडेन्टस ने फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचना कर मिथ्या साक्ष्य गढी है जिसके लिए असल रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाना मे सुसंगत धाराओ के तहत आपराधिक मामले की एफ.आई.आर दर्ज कराई जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि दावा दायरी की दिनांक 13.05.2015 से मात्र 40 दिवस मे अन्तिम निर्णय पारित कर बडी जल्दबाजी मे निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि बिना प्राथमिक डिक्री पारित किये तथा तहसीलदार भूमिघारी से बिना कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त किये ही कथित राजीनामा के तथ्यो का परीक्षण किये बिना प्राथमिक डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। वदी वजह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि हाल खसरा नम्बर 93 व 95 पर जमाबन्दी में कही भी वादीगण/असल रेस्पोडेन्टस का नाम अंकित नहीं है, ना ही उसका कोई हिस्सा है फिर कथित विभाजन रिपोर्ट मे हाल खसरा नम्बर 93 व 95 के 0.10 है० रकबा को वादीगण/असल रेस्पोडेन्टस को विभाजन मे देकर कानूनी मूल की है। वदी वजह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अपीलांट की पत्नी का पृथक पृथक हिस्सा अपने निर्णय में अंकित नही किया जबकि जमाबन्दी मे अपीलांट का हिस्सा 10.5 ऐयर व अपीलांट की पत्नी का हिस्सा 10.5 ऐयर यानी 1/6, 1/6 अंकित था। खसरा नम्बर 93 व 95 का विभाजन करते समय दौलत व नथोली का हिस्सा 1/3 यानी 21 ऐयर के स्थान पर दौलत को 11 ऐयर तथा नथोली को कोई हिस्सा न देकर नथोली के 10 ऐयर हिस्से को वादीगण/असल रेस्पोडेन्टस के हिस्से मे उसके अभिलिखित हिस्से से ज्यादा देकर कानूनी भूल की है। वदी वजह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की तरफ कोई ध्यान नही दिया है जबकि आराजी के विभाजन हेतु उक्त नियमो की पालना करना आज्ञात्मक प्रावधान है। वदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वजह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। असल रेस्पो०/वादीगण के अधिवक्ता महेन्द्र कुमार पुत्र रोशनलाल मथुरिया रजि० सं० 2516/2006 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/डिक्री पर स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर बावत जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को एफ.आई.आर दर्ज करने तथा बार एसोसियेशन नदबई व बार काउन्सिल जोधपुर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2024 को पेश किया है जिसमे अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे उनके द्वारा कोई वकालतनामा पेश नही किया गया है, बल्कि वादी के अधिवक्ता द्वारा ही फर्जी हस्ताक्षर कर वकालतनामा पेश किया है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कूट रचित दस्ताबेजात व फर्जकारी के आधार पर पारित की गयी है जो काबिल खारिजी के है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2024(2) DNJ (Rev.) 986, 1993 RRD 642 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में इसी आराजी की बावत एक अन्य दावा संख्या 101/2018 उनवानी कमलेश बनाम रूपसिंह का अन्तर्गत धारा 183, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 का चला जो दिनांक 04.03.2024 को अपीलांट की फर्जी तामील के आधार पर दिनांक 04.03.2024 को एकपक्षीय निर्णित हुआ जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा०दी० का दिनांक 06.05.2024 को पेश किया जिसकी जानकारी दिनांक 03.05.2024 को हुई थी। इस प्रकार अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध म हुऐ कथित विभाजन के निर्णयो की जानकारी दिनांक 03.05.2024 को हुई है। अपीलांट द्वारा तत्काल निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.15 को जानकारी की तो तहत न्यायालय मे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.07.2024 को हुई। तत्पश्चात अपीलांट ने आवेदन तहत अदालत मे दिनांक 26.07.2024 को किया। तहत न्यायालय से प्रमाणित प्रतियाँ निर्णय व डिक्री सहित समस्त पत्रावली की दिनांक 29.7.2024 को प्राप्त हुयी। वदी वजह होने जानकारी व मिलने नकल दिनांक 29.07.2024 से बिना विलम्ब के अपील अपीलांट न्यायालय श्रीमान जी में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांटस अन्दर अवधि सुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण/रेस्पोडेन्ट के ससुर व दादा, बाबा की पैत्रिक आराजी है जो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के पूर्वजों की सहखातेदारी की आराजी है अन्य सहखातेदार मृतक नथोली के परिवार से संबंधित नहीं है लेकिन सभी सहखातेदार अपने हिस्से मुताबिक मनबट से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और आये दिन सम्मिलित काश्त व सिंचाई साधन और लगान आदि कर विवाद होता रहता था। जिसके कारण से मृतक नथोली पुत्र रामचन्द जाति जाट के उत्तराधिकारीगण को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 व वादीगण हैं को आराजी मुत0 का हिस्से व कब्जे मुताबिक मनबट के बजाय कानूनी बंटवारा कराने के अधिकारी थे। इसी कारण कुछ हिस्सेदारों द्वारा अपनी सम्मिलित आराजी में अपना सम्पूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्सा बेचान कर दिया था। जो खाता सं. 23 से बखूबी सिद्ध था। विवादित आराजी वादनीगण के पूर्वज व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा सांवल पुत्र घूरे जाति जाट से आराजी ख.न. 100, 101, 102, 103, 229/125, 231/125 किता 6 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा दिनांक 30.08.1972 को रेस्पोडेन्ट्स ने खरीद किया था और वक्त खरीद से ही रेस्पोडेन्ट काविज है। न्यायालय के निर्णय में अंकित प्रतिवादिया सं. 17 कमला पत्नी इमरत की मृत्यु निर्णय के बाद हुई है। तहसीलदार द्वारा कुर्रा रिपोर्ट विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार की गई है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.08.2024 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट का पेश कर अभिकथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर जमाबन्दी सं. 2067 लगायत 70 के खाता नं. 29 के खसरा नम्बरान 39 रकबा 0.52 हेक्टे. 46 रकबा 0.40 है 47 रकबा 0.15 है. 54 रकबा 0.05 है 55 रकबा 0.40 है. 56/2 रकबा 0.19 है. 58 रकबा 0.53 है. 67 रकबा 0.78 है. 70 रकबा 0.30 है. व 172 रकबा 0.19 है. किता 10 रकबा 3.51 हैक्टे व खाता सं 40 के आराजी खसरा नं. 197 रकबा 0.45 है. खाता सं. 47 के खसरा नम्बर 192 रकबा 0.14 है खाता नं. 48 के खसरा नम्बर 57 रकबा 0.96 है 63 रकबा 0.06 है. 64 रकबा 0.06 है 195 रकबा 0.08 है. किता 4 रकबा 1.16 है व खाता सं· 49 के खसरा नं. 205 रकबा 0.12 है. व 206 रकबा 0.12 है. किता 2 रकबा 0.24 है. व खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 93 रकबा 0.31 है खसरा नं 95 रकबा 0.32 है. किता 2 रकबा 0.63 है व खाता सं 23 के खसरा नं. 122 रकबा 0.08 है. 123 रकबा 0.08 है. 139 रकबा 0.71 है 140 रकबा 0.45 है 141 रकबा 0.38 है. किता 5 रकबा 1.70 है. वाके

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई में स्थित है जो जमाबन्दी सं 2067 से 70 द्वारा सिद्ध है। विवादित आराजी वादपत्र में वर्णित मद सं. 2 के खाता सं. 40, 47, 48, 49, 28, 23 वाके ग्राम खुर्रमपुर में जो पैत्रिक सम्पत्ति मृतक नथोली पत्र रामचन्द से वारिसान को प्राप्त हुई है उसकी आराजी बाबत ग्राम उटारदा व खुर्रमपुर में दावा पेश कर विभाजन कराना सहमति से कुर्रेजात पेश कर कब्जे व हिस्से मुताबिक मनबट के बजाय कानूनी विभाजन किया जावे तथा कुर्रेजात का अंकन राजस्व रिकार्ड में मय तरमीम लगान आदि तय कराते हुए व रिलीजडीड हक त्याग बावत् सुविधा देते हुए व पूर्व बयनामा दिनांक 30.08.1972 को दृष्टिगत रखते हुए दुरूस्ती आदेश कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण को दावे के निस्तारण तक मदाखलत व मजाहमत न करने बाबत् पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण असल रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद दिनांक 12.05.2015 को पेश किया गया था। जिस पर बाद जांच पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 12.05.2015 को दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदत्त किए। आदेशिका के अनुसार दावा दिनांक 13.05.2015 को दर्ज किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी कर पत्रावली दिनांक 18.05.2015 को नियम की गयी। दिनांक 18.05.2015 की तारीख पेशी की आदेशिका में यह अंकन किया गया कि पत्रावली लोक अदालत भदीरा पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित/प्रतिवादी सं. 1 से 7 मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी 12 से 14, 23 से 26 की तलबी हो चुकी है, अनुपस्थित हैं, एक तरफा कार्यवाही की जाती है, पत्रावली दिनांक 21.05.2015 को पेश हो। आदेशिका दिनांक 21.05.2015 को यह अंकन किया गया है कि प्रतिवादी 8 से 11, 15, 16, 18 से 22 की ओर से इकबाल दावा पेश हुआ है, पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 28.05.2015 को पेश हो। तारीख पेशी दिनांक 28.05.2015 को साक्ष्य वादी में पी.डब्लू–1 वादिनी व गवाह पी.डब्लू–2 के बयान कराये गए। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 01.06.2015 आगामी तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 24.06.2015 को बहस सुनी जाकर वाद वादीगण स्वीकार कर वादपत्र में अंकित कुर्रा अनुसार पृथक–पृथक इन्द्राज किए जाने बाबत डिक्री किया गया।

हस्तगत अपील रूपसिंह पुत्र सावल जाति जाट निवासी ग्राम खुर्रमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर द्वारा पेश की गयी है। अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट व अन्य तरतीवी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई इकबाल दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में तथाकथित प्रस्तुत इकबाल दावा वादी व उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जिस पर मुझ अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से बनाये गए हैं और इसी इकबाल दावे के आधार पर कोई भी निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के वकालतनामा व राजीनामा पर भी असल रेस्पोडेन्ट्स ने फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचना कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ी है जिसके लिए असल रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामले की एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि दावा दायरी की दिनांक 13.05.2015 से मात्र 40 दिन में अन्तिम निर्णय पारित कर बड़ी जल्दबाजी में निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। बिना प्राथमिक डिक्री किए तथा तहसीलदार भूमिधारी से बिना कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त किए ही कथित राजीनामा के तथ्यों का परीक्षण किए बिना प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पारित करने मे भूल की है। हाल खसरा नम्बर 93 व 95 पर जमाबन्दी में कहीं वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट्स का नाम अंकित नहीं है ना ही उसका कोई हिस्सा है। फिर कथित विभाजन रिपोर्ट मे हाल खसरा नम्बर 93 व 95 के 0.10 है० रकबा को वादीगण/असल रेस्पोडेन्टस को विभाजन मे देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अपीलांट की पत्नी का पृथक–पृथक हिस्सा अपने निर्णय में अंकित नही किया जबकि जमाबन्दी मे अपीलांट का हिस्सा 10.5 ऐयर व अपीलांट की पत्नी का हिस्सा 10.5 ऐयर यानी 1/6, 1/6 अंकित था। खसरा नम्बर 93 व 95 का विभाजन करते समय दौलत व नथोली का हिस्सा 1/3 यानी 21 ऐयर के स्थान पर दौलत को 11 ऐयर तथा नथोली को कोई हिस्सा न देकर नथोली के 10 ऐयर हिस्से को वादीगण/असल रेस्पोडेन्टस के हिस्से मे उसके अभिलिखित हिस्से से ज्यादा देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की तरफ कोई ध्यान नही दिया है जबकि आराजी के विभाजन हेतु उक्त नियमो की पालना करना आज्ञात्मक प्रावधान है। असल रेस्पोडेन्ट/वादीगण के अधिवक्ता महेन्द्र कुमार पुत्र रोशनलाल मथुरिया रजि० सं० 2516/2006 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पर स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर बावत जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को एफ.आई.आर दर्ज करने तथा बार एसोसियेशन नदबई व बार काउन्सिल जोधपुर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2024 को पेश किया है जिसमे अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे उनके द्वारा कोई वकालतनामा पेश नही किया गया है, बल्कि वादी के अधिवक्ता द्वारा ही फर्जी हस्ताक्षर कर वकालतनामा पेश किया है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कूट रचित दस्ताबेजात व फर्जकारी के आधार पर पारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली के आद्योपरान्त अवलोकन से यह जाहिर आता है कि अपीलान्ट रुपसिंह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार के रुप में प्रतिवादी सं. 10 संयोजित था एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 8 से 11, 15, 16, 18 से 22 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया था लेकिन अपीलान्ट रूपसिंह ने अपील मीमों में यह आधार लिया है कि अपीलान्ट के वकालतनामा व राजीनामा पर भी असल रेस्पोडेन्ट्स ने फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचना कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ी है। उसके द्वारा कोई इकबालदावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में तथाकथित प्रस्तुत इकबाल दावा वादी व उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया है। इस हेतु अपीलान्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नदबई में करवायी गयी है की फोटोप्रति एवं महेन्द्र कुमार एडवोकेट पुत्र श्री रोशनलाल मथुरिया द्वारा पेश इस्तगासा की फोटोप्रति पेश की है जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा इकबाल दावा पेश नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इकबाल दावा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 विधिसम्मत नहीं कहे जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में वर्णित कुर्रो के अनुसार खसरा नम्बर 93 व 95 जो जमाबन्दी सम्वत 2067–70 ग्राम खुर्रमपुर के अनुसार दौलतसिंह पुत्र मूली सिंह व नथोली सिंह पुत्र रामचन्द्र हि.ब. 1/3, गुरुदयाल, उमेद, इमरत सिंह, रुपसिंह पिसरान सांवल हि.ब. 4/5 पपीता बेवा दशरथ, हेमराज, हेमन्त पिसरान दशरथ, हेमलता, सत्यवती पुत्री दशरथ हि.ब. 1/15 रुपसिंह पुत्र सांवल हिस्सा 1/5 कश्मीरी पत्नी रुपसिंह हिस्सा 1/5 जाट सा.देह खातेदार दर्ज है, उसमें वादीगण की खातेदारी भूमि नहीं होते हुए भी बिना किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कारण वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया जो कतई विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वादपत्र में पेश होने पर दिनांक 12.05.2015 को प्रतिवादीगण को समन जारी किए हैं जबकि आदेशिका में दावा 13.05.2015 को दर्ज किया गया है। दिनांक 12.05.2015 को जारी समनों में आगामी तारीख पेशी 18.05.2015 तय की गयी थी एवं दिनांक 18.05.2015 को प्रतिवादी सं. 12 से 14, 17, 23 से 26 की तलबी मानकर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी। इस प्रकार यह तामील सम्यक समय पर की गयी तामील नहीं मानी जा सकती है क्योंकि समन प्रतिवादीगणों को किस दिनांक को तामील हुए वह तारीख तामील कुनिन्दा द्वारा अंकित नहीं की गयी है। साथ ही आदेश 5 नियम 1 सीपीसी अनुसार समन तामील होने की दिनांक से 30 दिन तक प्रतिवादी को जबाबदावा पेश करने का अधिकार रहता है तो समन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन तक एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है। वादीगण द्वारा मौखिक गवाह के रुप में कमलेश पत्नी खैमसिंह पी.डब्लू–1 एवं नेतराम पुत्र रामखिलाड़ी पी.डब्लू–2 पेश किए गए हैं लेकिन उक्त शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ नहीं है एवं ना ही इनसे जिरह की गयी है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 वाके ग्राम खुर्रमपुर, मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम खुर्रमपुर एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए है एवं ना ही उक्त दस्तावेज को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचारण को प्रक्रियात्मक कानून की पालना नहीं करते हुए बहुत ही जल्दबाजी में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 पारित किए हैं, जो न्यायोचित नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य पाया जाता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रकरण में विधिवत रुप से उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर